राजस्थान राज्य और अन्य

बनाम

मेसेर्स दीप ज्योति कंपनी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1854/2016 आदि।)

26 फरवरी, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, ए. के. सिकरी और आर. भानुमथी, जे. जे.)

खान और खनिज-सरकारी काम में छोटे खनिजों का उपयोग करने वाले सरकारी ठेकेदारों से रॉयल्टी की कटौती का प्रावधान करने वाला 06.10.2008 का परिपत्र-काम शुरू करने से पहले ठेकेदार को काम में उपयोग किए जाने वाले खनिजों के लिए अल्पकालिक अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है-परिपत्र को चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा-उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ परिपत्र को रद्द कर दिया- अपील पर कहाः यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि काम में केवल रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिजों का उपयोग किया जाए-जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात गैर-रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिज का उपयोग सरकारी काम के निष्पादन में नहीं किया जाता है-इस प्रकार, परिपत्र को अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है- परिपत्र संख्या पी 13 (6) खान/समूह-2/80-भाग दिनांक 06.10.2008.

न्यायालय द्वारा अपीलों को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1. खदानों से हटाए गए छोटे खनिज, निश्चित रूप से सरकार की संपत्ति हैं और उन्हें रॉयल्टी के भुगतान के बिना हटाया और उपयोग नहीं किया जा सकता है।इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि काम में केवल रॉयल्टी भुगतान किए

गए खनिजों का उपयोग किया जाए। अल्पकालिक परमिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री और खनिज आदि को रॉयल्टी का भुगतान किया जाए।इसका मतलब केवल यह है कि ऐसी सामग्री ठेकेदार द्वारा बाजार से खरीदी जाती है जो कानूनी रूप से खनन की जाती है और जिस पर देय रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य यह देखना है कि अवैध रूप से खनन किए गए खनिज/सामग्री को ठेकेदार द्वारा नहीं खरीदा जाता है और निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है।न केवल यह एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, बल्कि अवैध खनन की जांच आदेश के लिए इस तरह की शर्त लगाई गई है, जिसने हाल के दिनों में गंभीर अनुपात ग्रहण किया है।अन्यथा, उत्तरदाता कुछ भी खोने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जिस क्षण इस बात का साक्ष्य पेश किया जाता है कि पट्टाधारक द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था, जिसका उपयोग निर्माण में किया गया था, प्रत्यर्थीगण की तरह निर्माण ठेकेदार को उस रॉयल्टी को वापस कर दिया जाएगा जिसका भुगतान उसने दिनांकित परिपत्र 06.10.2008 के संदर्भ में किया था।उक्त परिपत्र के खंड (5) और (7) के संदर्भ में ठेकेदार को कार्य की प्रकृति के आधार पर परिपत्र में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है और रॉयल्टी का भुगतान दिखाने वाले बिलों को पेश करने पर, ठेकेदार रॉयल्टी का धनवापसी प्राप्त कर सकता है।इस प्रकार, किसी भी प्रकृति के प्रत्यर्थीगण पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है।वह उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, अर्थात।, गैर-रॉयल्टी भुगतान खनिज (जो स्वाभाविक रूप से अवैध रूप से खनन किया गया खनिज होगा) का उपयोग सरकारी कार्य के निष्पादन में नहीं किया जाता है और इसे अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है।इस तरह के प्रावधान के लिए एक पूर्ण औचित्य है।[पैरा 10 और 11) [6-जी-एच; 7-ए-डी]

2. परिपत्र में निर्धारित दरों पर खनिज विभाग को देय रॉयल्टी की कटौती को निर्धारित करने वाले खंडों को शुल्क नहीं कहा जा सकता है।परिपत्र में केवल उन ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया प्रदान की गई है जिन्हें सरकारी विभाग द्वारा कार्य अनुबंध दिया गया है।उच्च न्यायालय ने परिपत्र के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा और विवादित परिपत्र को रद्द करने में गलती की।[पैरा 12] [7-एच; 8-बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी याचिका सं 1854/2016

राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर की डी. बी.व्यवहार विशेष अपील संख्या 369/ 2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 17.01. 2011 से।

के साथ

सी.ए.संख्या 1855 /2016

शिव मंगल शर्मा।एएजी अंकित शाह, अधिरेय सिंह, पुनीत परिहार, अंजलि चौधरी, सुश्री रुचि कोहली, कुणाल नारायण।ललितेंदु महापात्रा, मिल इंद कुमार, मनीष सिंघवी, बी. डी. थानवी, एच. डी. थानवी, ऋषि मटोलिया, मुकुल कुमार, सुश्री अरुणा गुप्ता, सुश्री नंदिनी गुप्ता, विज्ञापन बनाम। उपस्थित दलों के लिए

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति आर. भानुमति, द्वारा पारित किया गया:-

1. अवकाश अनुदत्त गई।

2. ये अपीलें जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आदेश पर हमला करती हैं, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर 2009 की विशेष अपील No.369 दिनांक 17.01.2011 को अनुमति दी जाती है, जिससे परिसंचारीकृत 06.10.2008 को रद्द कर दिया जाता है।। जिसमें सरकारी विभाग द्वारा कार्य अनुबंध दिए गए ठेकेदारों के बिलों

से खनन विभाग को देय रॉयल्टी की कटौती का प्रावधान किया गया है।2009 की विशेष अपील में आदेश पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर 2012 की विशेष अपील संख्या 753 को खारिज कर दिया।

3. 2011 के एस. एल. पी.(सी) Nos.33894 से उत्पन्न अपील दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैंः-राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के साथ 'ए' श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत एक साझेदारी फर्म, प्रतिवादी-दीप ज्योति कंपनी को लिंक रोड के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया। 06.10.2008 पर, खान (समूह-2) विभाग, राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र No.P13(6) खान/समूह-2/80-पार्ट दिनांक 06.10.2008 जारी किया।, सरकारी विभाग, स्वायत्त निकायों, सरकारी उपक्रमों में खनिज चिनाई पत्थर, ग्रिट, बोल्डर, नदी की रेत, कंकड़, मुर्रम, साधारण रेत (ईंट की मिट्टी को छोड़कर) का उपयोग करके निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदारों से रॉयल्टी के संग्रह से संबंधित है।दिनांक 06.10.2008 के परिपत्र के अनुसार, काम शुरू करने से पहले, प्रत्यर्थीगण को आवश्यक अल्पकालिक परमिट शुल्क का भुगतान करके संबंधित खनन अभियंता से एक अल्पकालिक परमिट (STP) प्राप्त करना था और उन खनिजों के लिए निकासी की लागत का भुगतान करना था जिनका उपयोग काम के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था।परिपत्र का खंड (5) ठेकेदारों के बिलों से परिपत्र में दी गई दरों पर रॉयल्टी की कटौती से संबंधित है।उक्त परिपत्र के खंड (7) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार ने किसी पट्टाधारक से रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिज को खरीदा था, तो वह तीस दिनों की अवधि के भीतर पट्टेदार द्वारा जारी देय रसीदें/कच्चा धन जमा करके उसका धनवापसी प्राप्त कर सकता है।उक्त परिपत्र दिनांक 06.10.2008 के खंड (2),(3),(5) और (7), जो निम्नलिखित रूप में पठित प्रासंगिक हैंः-

"2.काम शुरू करने से पहले ठेकेदार संबंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता कार्यालय से अनुसूचित प्रारूप में आवेदन करके और आवश्यक अल्पकालिक परमिट शुल्क और जी-अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज की मात्रा के अनुसार रॉअन्ना बुक की लागत के साथ विधिवत नोटरी प्रमाणित एक शपथ पत्र संलग्न करके परमिट प्राप्त करेगा।

3. ठेकेदार उपरोक्त परमिट की प्रमाणित प्रति पहले बिल के साथ संबंधित विभाग को प्रस्तुत करेगा, अन्यथा निर्माण विभाग को बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए और यदि किसी निर्माण विभाग द्वारा पहले बिल या किसी अन्य बिल के लिए भुगतान अल्पकालिक परमिट की प्रमाणित प्रति प्राप्त किए बिना किया जाता है, तो उक्त विभाग खनिज की लागत जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.....

5. संबंधित निर्माण विभाग ठेकेदार के बिलों द्वारा निम्नलिखित तरीके द्वारा निर्माण के प्रकार के आधार में रॉयल्टी की कटौती करेगा और संबंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता को चेक के माध्यम द्वारा भुगतान करेगा या महालेखा परीक्षक के माध्यम द्वारा समायोजित होगा और विवरण 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।

1. सड़क निर्माण 1.75%

2. भवन निर्माण 1.00%

3. सड़क नवीकरण 0.75%

4. अन्य कार्य जिनमें खनिज का उपयोग किया जाता है 0.5%

6. ……..…..

7. यदि कोई ठेकेदार पट्टा धारक से रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिज की खरीद करता है और वह रॉयल्टी की वापसी चाहता है, तो उसे पट्टा धारक द्वारा जारी किए गए रावण, आर. सी. सी./ई. आर. सी. सी. ठेकेदारों की प्राप्तियों और निर्माण कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर बिल की प्रति के साथ संबंधित खनन अभियंता/सहायक खनन अभियंता कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा।उन कच्चे माल की वापसी जो वांछित है, संबंधित निर्माण विभाग के ठेकेदार के नाम पर जारी की जाएगी।यदि धनवापसी का आवेदन नहीं किया जाता है तो किसी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी।"

4. प्रतिवादी-दीप ज्योति कंपनी ने उक्त परिपत्र दिनांक 06.10.2008 की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की रिट याचिका संख्या.1309 दायर की और अधिकारियों को उक्त परिपत्र को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परिपत्र दिनांक 06.10.2008 द्वारा लगाई गई शर्त एक उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित में थी।इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष अपील की।विवादित आदेश द्वारा, खण्ड पीठ दिनांक 06.10.2008 के परिपत्र को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी जिसमें कहा गया था कि ठेकेदार को खनन संचालन के लिए अल्पकालिक अनुमति प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और उसे देय बिलों से रॉयल्टी का भुगतान करने और फिर उसी की वापसी की मांग करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है।मिस दीप ज्योति कंपनी के मामले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने 2012 की विशेष अपील संख्या 753 को 14.01.2013 के

आदेश द्वारा खारिज कर दिया।ये अपीलें विवादित आदेशों की शुद्धता को चुनौती देती हैं।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव मंगल शर्मा,अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निवेदन कि दिनांक 06.10.2008 का परिपत्र केवल उन ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया प्रदान करता है जिन्हें सरकारी विभाग द्वारा कार्य अनुबंध दिया गया है और उक्त शर्त राज्य सरकार द्वारा जनहित में लगाई गई थी।यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के परिपत्र के खंड (7) पर ध्यान नहीं दिया, जो इस स्थिति का ध्यान रखता है कि ठेकेदार विभाग द्वारा अपने बिलों से काटे गए रॉयल्टी की वापसी प्राप्त कर सकता है, यदि ठेकेदार आवश्यक बिल प्रस्तुत करके संतुष्ट होता है, यह दर्शाता है कि उसने अनुबंध के निष्पादन में रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिज का उपयोग किया था।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 06.10.2008 दिनांकित परिपत्र को सही ढंग से रद्द कर दिया क्योंकि राज्य किसी कार्य ठेकेदार को अल्पकालिक मेंमिट प्राप्त करने और रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान करने और फिर रॉयल्टी की वापसी का दावा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है क्योंकि यह अनुचित और मनमाना है।

7. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर विवादित आदेशों और सामग्री का अध्ययन किया है।

8. राज्य सरकार द्वारा 06.10.2008 तारीख का परिपत्र जारी किया गया जो उन ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया प्रदान करता है जिन्हें सरकार के विभाग द्वारा कार्य अनुबंध दिया गया है।अपीलार्थियों के अनुसार, उक्त परिपत्र रॉयल्टी के भुगतान को सुनिश्चित आदेश के लिए जारी किया गया था और रॉयल्टी द्वारा

भुगतान किए गए खनिज का उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया जाता है।जैसा कि पहले देखा गया है, परिपत्र के खंड (2) में प्रावधान है कि काम शुरू करने से पहले ठेकेदार को अल्पकालिक अनुमति पत्र प्राप्त करना था और रॉअन्ना बुक और ठेकेदार को भी शपथ पत्र आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करना था कि उसने आवश्यक खनिज और रॉअन्ना बुक के खनन के लिए अल्पकालिक अनुमति पत्र प्राप्त किया था। उक्त परिपत्र के खंड (3) में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार एस. ओ. 1. टी. अवधि परमिट की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है।कार्य विभाग बिलों का भुगतान रोकेगा।उक्त परिपत्र के खंड (3) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि सरकारी विभाग जो ठेकेदार को काम आवंटित करता है, वह अल्पकालिक परमिट और रॉअन्ना बुक की प्रति प्राप्त किए बिना अनुबंध बिलों का भुगतान करता है, तो कार्य विभाग खनिज की लागत जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।इस प्रकार खंड (2) और (3) के संदर्भ में कार्य शुरू करने से पहले अल्पकालिक अनुमति प्राप्त करना कार्य ठेकेदार का दायित्व है।

9. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 06.10.2008 की वैधता से संबंधित कुछ मूलभूत पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।उक्त परिपत्र जो ठेकेदारों को अल्पकालिक भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करता है, उन ठेकेदारों के लिए है जो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों के रूप में पंजीकृत हैं। इस तरह का पंजीकरण उन्हें सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने और प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है, जो निर्माण अनुबंध हैं।इस प्रकार, शर्तों को लागू करने वाला दिनांक 06 का परिपत्र केवल उस कार्य को करने के उद्देश्य से आवश्यक है जो सरकार/सरकारी विभागों आदि द्वारा दिया जाता है। अन्यथा, किसी अन्य निजी कार्य को करते समय ठेकेदारों की ओर से ऐसी कोई आवश्यकता या दायित्व नहीं है।यह सामान्य बात है कि सरकारी कार्य प्रदान करने के लिए, यह शर्तों, पात्रता मानदंडों के

साथ-साथ उन नियमों और शर्तों को लागू और निर्धारित कर सकता है जिन पर अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।यदि कोई व्यक्ति काम के लिए बोली लगाना या शुरू करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को उन शर्तों को पूरा करना होगा।एकमात्र सीमा यह है कि इस प्रकार लगाई गई शर्तें निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए और ऐसी शर्तें मनमाना या किसी भी कानून के विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या दिनांकित 06.10.2008 परिपत्र में दी गई अल्पकालिक अनुमति प्राप्त करने की शर्त को लागू करना उचित है और मनमाना नहीं है।

10. जहाँ तक यह तर्क है कि परिपत्र के संदर्भ में अल्पकालिक अनुमति प्राप्त करने की मजबूरी है, हमारे विचार में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है।यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि रॉयल्टी के भुगतान के बिना किसी भी खनिज की खुदाई और उपयोग न किया जाए।अल्पकालिक परमिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री और खनिज आदि को रॉयल्टी का भुगतान किया जाए।इसका मतलब केवल यह है कि ऐसी सामग्री ठेकेदार द्वारा बाजार से खरीदी जाती है जो कानूनी रूप से खनन की जाती है और जिस पर देय रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य यह देखना है कि अवैध रूप से खनन किए गए खनिज/सामग्री को ठेकेदार द्वारा नहीं खरीदा जाता है और निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है।न केवल यह एक प्रशंसनीय उद्देश्य है, बल्कि अवैध खनन को रोकने के आदेश इस तरह की शर्त लगाई गई है, जो दुर्भाग्य से हाल के दिनों में गंभीर हो गई है।अन्यथा, यहाँ उत्तरदाता कुछ भी खोने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जिस क्षण इस बात का साक्ष्य पेश किया जाता है कि पट्टाधारक द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था जिसका उपयोग निर्माण में किया गया था, प्रत्यर्थीगण की तरह निर्माण ठेकेदार को उस रॉयल्टी को वापस कर दिया जाएगा जो उसने दिनांकित

06.10.2008 के संदर्भ में दी थी।उक्त परिपत्र के खंड (5) और (7) के संदर्भ में ठेकेदार को कार्य की प्रकृति के आधार पर परिपत्र में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है और रॉयल्टी का भुगतान दिखाने वाले बिलों को पेश करने पर, ठेकेदार रॉयल्टी का धनवापसी प्राप्त कर सकता है।इस प्रकार, किसी भी प्रकृति के प्रत्यर्थीगण पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है।वह उद्देश्य जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, अर्थात।, गैर-रॉयल्टी भुगतान खनिज (जो स्वाभाविक रूप से अवैध रूप से खनन किया गया खनिज होगा) का उपयोग सरकारी कार्य के निष्पादन में नहीं किया जाता है और इसे अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है।हमारे विचार में, इस तरह के प्रावधान प्रदान करने के लिए एक पूर्ण औचित्य है।

11. खदानों से हटाए गए छोटे खनिज, निश्चित रूप से सरकार की संपत्ति हैं और उन्हें रॉयल्टी के भुगतान के बिना हटाया और उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि काम में केवल रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिजों का उपयोग किया जाए और इस तरह के परिपत्र जारी करने का उद्देश्य राजस्व की चोरी/रिसाव से बचना था क्योंकि ठेकेदारों द्वारा या तो खनन पट्टाधारकों से सामग्री नहीं खरीदकर या अनधिकृत उत्खननकर्ताओं से इसे प्राप्त करके रॉयल्टी से बहुत आसानी से बचा जा सकता है।यदि ठेकेदार अनधिकृत व्यक्ति से सामग्री खरीदता है जिसने रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है, तो सरकारी खजाने को नुकसान होगा और सरकारी खजाने की चोरी या नुकसान को रोकने के लिए परिपत्र जारी किया गया था।ऐसी स्थिति को अनुचित और मनमाना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए ठेकेदारों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता है।

12. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पट्टे वाले क्षेत्रों से हटाए गए या उपभोग किए गए खनिज के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में निर्धारित दरों पर रॉयल्टी लगाई जा सकती है और

ऐसा कोई भी शुल्क केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि किसी परिपत्र द्वारा और रॉयल्टी लगाने की प्रकृति वाले विवादित परिपत्र 06.10.2008 को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था और विवादित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।परिपत्र में निर्धारित दरों पर खनिज विभाग को देय रॉयल्टी की कटौती को निर्धारित करने वाले खंडों को शुल्क नहीं कहा जा सकता है।जैसा कि पहले देखा गया है, परिपत्र में कहा गया है कि ठेकेदार द्वारा खनन विभाग को बिल पेश करने पर परिपत्र में निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की कटौती की जाती है, यह दर्शाता है कि उन्होंने पट्टे पर दिए गए खनिज को पट्टे पर देने वाले से खरीदा था और इस प्रकार यह केवल रॉयल्टी के संग्रह की प्रक्रिया प्रदान करता है।परिपत्र केवल उन ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया प्रदान करता है जिन्हें सरकारी विभाग द्वारा कार्य अनुबंध दिया गया है।उच्च न्यायालय ने परिपत्र के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा और विवादित परिपत्र को रद्द करने में गलती की।

13. 2009 की विशेष अपीलों 369/2009 और 2012 की धारा 753 में उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है और इन अपीलों की अनुमति दी गई है।नतीजतन,प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करना होता है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपीलों को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।